राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांक :एफ.वी.4(2)निगो/प्लान/न.गौ.स.यो./2018/ 4739 दिनांक : 7.6.2018

परिपत्र

राज्य के निराश्रित नर गौवंश/नन्दी की सार्वजनिक स्थल/सड़कों पर बढती हुई संख्या से उत्पन्न हो रही समस्या का निराकरण करने हेतु प्रत्येक जिले में एक नन्दी गौशाला स्थापना एवं उनमें स्थायी आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण करने हेतु नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना अन्तर्गत गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 द्वारा सृजित निधि से अनुदान राशि के वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न प्रकार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. लाभांवित होने वाली संस्थाओं की पात्रता :–

i. जिले में नवीन स्थापित होने वाली नंदी गौशाला को ही अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा। नन्दी का तात्पर्य सांड (Bull), बैल (Bullock) तथा नर बछड़ों (Male Calves) से है।

ii. नन्दी गौशाला जिसमें 500 या 500 से अधिक के नन्दी गौवंश का संधारण किया जा रहा हो सके, योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

iii. ऐसी गौशालाऐं/संस्थाऐं जिनके पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त लीज (न्यूनतम 10 वर्ष) की भूमि उपलब्ध हो, अनुदान हेतु पात्र होगी।

iv. किसी जिले में नंदी गौशाला स्थापित करने के लिए इच्छुक संस्था के पास आवश्यक भूमि की उपलब्धता न होने की स्थिति में जिला गोपालन समिति द्वारा संस्था को उपयुक्त माने जाने की स्थिति में, संबंधित जिला कलक्टर द्वारा संस्था को नंदी गौशाला खोलने एवं संचालन करने हेतु नियमानुसार भूमि का आवंटन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

v. एक व्यस्क नर गौवंश को रहने व विचरण करने हेतु सामान्यतः 150 वर्गफुट भूमि की आवश्यकता होती है। अतः न्यूनतम 500 नर गौवंश के लिए लगभग 25 बीघा भूमि आवश्यक होगी। इस प्रकार प्रत्येक जिले में नंदी गौशाला हेतु 50 से 100 बीघा या इससे अधिक भूमि का आवंटन नियमानुसार किया जा सकता है।

vi. ऐसी गौशालाऐं जिनके विरूद्ध राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दण्डित कार्यवाही अथवा कोई वित्तिय अनियमितता/गबन का प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।

vii. आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनने हेतु जो गौशालाएं स्वयं के संसाधन विकसित करने हेतु उत्सुक हो।

viii. राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 या राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 या तत्समय प्रर्वत विधि के अधीन पंजीकृत गौशालाऐ/संस्थाऐं।

ix. विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय गोपालन समिति से अनुमोदित/अनुशंषित संस्थाएं।

2. संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया :–

i. संबंधित नन्दी गौशाला प्रबन्धक/सचिव द्वारा प्रस्ताव जिला कलक्टर कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

ii. प्राप्त प्रस्तावों की जांच (जैसा कि जिला कलेक्टर द्वारा उचित समझी जावे) उपरान्त सही पाये जाने पर जिला गोपालन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जा सकेगा, प्रस्ताव में नर गौवंश की संख्या एवं विवरण, भूमि का विवरण, प्रस्तावित निर्माण कार्य/तकमीना की राशि, नंदी गौशाला द्वारा स्वयं के हिस्से की जमा राशि का विवरण आदि सम्मिलित होगा।

iii. एक से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति की स्थिति में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया जाकर सर्वश्रेष्ठ संस्था/गौशाला का चयन किया जायेगा, जिसका आधार संस्था/संचालकों की वित्तीय स्थिति, गौवंश पालन पोषण का अनुभव, संस्था से जिले के गणमान्य नागरिकों, भामाशाहों, दानदाताओं का जुडाव, भूमि की उपलब्धता, नंदीओं के लिए

चारा–पानी, पशुआहार, प्रबंधन, चिकित्सा, देख–रेख आदि की समुचित व्यवस्था करने में सक्षमता का होगा। मूल्यांकन का विवरण **प्रपत्र–8** पर संलग्न है।

iv. ऐसी संस्थाऐं जो गौवंश सह–उत्पाद के निर्माण व विक्रय के माध्यम से स्वावलम्बी बनने की वचनबद्धता प्रदर्शित करती है, को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. सहायता राशि की शर्तें :–

i. गोपालन विभाग द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला के लिए स्थायी आधारभूत संरचना निर्माण हेतु अनुदान दिया जायेगा।

ii. **राज्य के 33 जिलों में एक नंदी गौशाला की स्थापना एवं नागौर जिले में गौशालाओं की अत्यधिक संख्या के कारण नागौर व कुचामन सिटी में पृथक–पृथक नंदी गौशाला की स्थापना की जायेगी।**

iii. **विभाग द्वारा 70% सहायता राशि दी जायेगी तथा 30% राशि लाभार्थी गौशाला संस्था द्वारा स्वयं को वहन करनी होगी।**

iv. **नवीन कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित संस्था को स्वयं के हिस्से की 30% राशि जमा करानी होगी यदि वे उक्त राशि जमा नहीं कराना चाहते है तो इतनी ही राशि का निर्माण/विकास कार्य पूर्ण कराकर प्रमाणन/मूल्यांकन कराना आवश्यक होगा।**

v. **योजना के अन्तर्गत लाभार्थी नंदी गौशाला को अधिकतम 50.00 लाख रूपये की राशि दी जायेगी। किसी भी स्थिति में निर्माण कार्य पर इससे अधिक राशि का अनुदान लाभार्थी गौशाला को देय नही होगा।**

vi. **परिशिष्ट – 3 में वर्णित संभावित अधिकतम लागत राशि के अनुसार मदवार निर्माण राशि को स्वीकृत इकाई रूप में अथवा गुणात्मक इकाई रूप में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले स्थायी आधारभूत व पक्के निर्माण हेतु सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी। योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले स्थायी आधारभूत व पक्के निर्माण की संभावित अधिकतम लागत परिशिष्ट – 3 में तथा तकमीना का प्रारूप परिशिष्ट – 4 में उपलब्ध करवाया गया है।**

vii. नंदी गौशाला में संधारित नर गौवंश की संख्या का सत्यापन सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार/विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी तथा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से कराया जा सकता है।

viii. सत्यापन निर्धारित **प्रपत्र–"1"** में किया जायेगा तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर जिला कलक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

ix. सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्दबुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

x. गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 7(V) के अंतर्गत निषिद्ध किये गये कार्यों पर निधि की राशि व्यय नहीं की जा सकेगी।

xi. योजनान्तर्गत देय राशि केवल नवीन निर्माण कार्य हेतु ही स्वीकृत की जायेगी।

xii. नंदी गौशाला द्वारा राज्य सरकार (जिला कलक्टर) के साथ उक्त शर्तों को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में औपचारिक अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त ही राशि स्वीकृत की जायेगी।

xiii. स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, निधि से स्वीकृत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित गौशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।